राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित लिफ्ट/2019–20/ दिनांक :

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा ।

विषय : नवीन सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को सौलर ऊर्जा से संचालित करने की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 38311–19 दिनांक 10.10..2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति सौर ऊर्जा के माध्यम से कराने की अनुपालना मे प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी निम्नांकित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के कम में कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना के निर्माण एवं स्थापना की कॉलम संख्या 4 अनुसार राशि 860.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	जलोत्थान सिंचाई योजना का स्थान	तकनीकी स्वीकृति		कृषक द्वारा 10 प्रतिशत देय राशि	विभाग द्वारा 90 प्रतिशत देय राशि
		क./दि.	राशि		
1	2	3	4	5	6
	जिला डूंगरपुर				
1	भैसला नवीन सामु.जलो. गांव भैसला,एवं ग्राम पंचायत माण्डली पंचायत समिति सीमलवाड़ा	17/4.11.2019	43.68	3.85	39.83
2	जाम्बुडी नवीन सामु.जलो. गांव जाम्बुडी एवं ग्राम पंचायत झलाप पंचायत समिति सीमलवाड़ा	09/4.11.2019	44.68	3.94	40.74
3	नागेश्वरी द्वितीय नवीन सामु.जलो. गांव नागेश्वरी एवं ग्राम पंचायत रास्तापाल पंचायत समिति सीमलवाड़ा	12/4.11.2019	45.65	4.03	41.62
4	माण्डलीफला रतनपुरा नवीन सामु.जलो रतनपुरा गांव एवं ग्राम पंचायत सवगढ़ पंचायत समिति दोवड़ा	11/4.11.2019	43.72	3.86	39.86
5	चान्देलाफला रतनपुरा नवीन सामु.जलो. गांव रतनपुरा एवं ग्राम पंचायत सवगढ़ पंचायत समिति दोवड़ा	18/4.11.2019	44.25	3.9	40.35
6	पाडली सांसरपुर नवीन सामु.जलो ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर पंचायत समिति झौथरी	15/4.11.2019	45.11	3.98	41.13
7	गडागोकल नवीन सामु.जलो. गांव गडागोकल एवं ग्राम पंचायत लिखिबडी पंचायत समिति सीमलवाड़ा	20/4.11.2019	45.85	4.05	41.8
8	हरेयाफला नवीन सामु.जलो. गांव गेंजी एवं ग्राम पंचायत गेंजी पंचायत समिति झौथरी	21/4.11.2019	26.21	2.31	23.9
9	ओडाफला नवीन सामु.जलो. गांव ओडाफला एवं ग्राम पंचायत झलाप पंचायत समिति सीमलवाड़ा	13/4.11.2019	45.99	4.06	41.93
10	पाडली बांसीया नवीन सामु.जलो. गांव पाडली बांसीया एवं ग्राम पंचायत पाडली गुजरेश्वर पंचायत समिति झौथरी	14/4.11.2019	46.69	4.12	42.57
11	साकरखाईया प्रथम पुनरोद्धार सामु.जलो. गांव साकरखाईया एवं ग्राम पंचायत वलई पंचायत समिति साबला	16/4.11.2019	41.25	3.64	37.61
12	कण्डोला नवीन सामु.जलो., पादरडीबडी पंचायत समिति सागवाड़ा	10/4.11.2019	43.12	3.80	39.32
13	धारफलादाद II पुनरोद्धार सामु.जलो गांव धारफलादाद, एवं ग्राम पंचायत शिशोद पंचायत समिति चिखली	19/4.11.2019	41.38	3.65	37.73
	योग		**557.58**	**49.19**	**508.39**

	जिला बांसवाडा				
14	चनावला नवीन सामु.जलो, गांव एवं ग्राम पंचायत बिलडी पंचायत समिति सज्जनगढ	32/30.10.2019	40.02	3.53	36.49
15	पातापुर झामरी नवीन सामु.जलो गांव एवं ग्राम पंचायत अन्देश्वर पंचायत समिति सज्जनगढ	33/30.10.2019	45.59	4.02	41.57
16	भमरी नवीन सामु.जलो गांव एवं ग्राम पंचायत अन्देश्वर पंचायत समिति सज्जनगढ	34/30.10.2019	31.95	2.82	29.13
17	पोटलीया नवीन सामु.जलो छोटा मासडा फला गांव एवं ग्राम पंचायत पोटलीया पंचायत समिति कुशलगढ	38/30.10.2019	46.29	4.09	42.20
18	चौराबडा नवीन सामु.जलो गांव एवं ग्राम पंचायत सातसेरा पंचायत समिति सज्जनगढ	35/30.10.2019	45.90	4.05	41.85
19	मुनीया खूंटा नवीन सामु.जलो गांव एवं ग्राम पंचायत मुनीया खूंटा पंचायत समिति सज्जनगढ	36/30.10.2019	46.90	4.14	42.76
20	जालीमपुरा नवीन सामु.जलो गांव एवं ग्राम पंचायत जालीमपुरा पंचायत समिति सज्जनगढ	37/30.10.2019	46.67	4.12	42.55
	योग		**303.32**	**26.77**	**276.55**
	महायोग		**860.90**	**75.96**	**784.90**

उपरोक्त कार्यो की कुल राशि 860.90 लाख के विरूद्व टीएडी मद की देय राशि 784.90 लाख के विरूद्व प्रथम किश्त राशि 424.48 लाख रू. विभागीय पत्रांक 5976–89 दिनांक 30.01.2019 को 23 जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को निरस्त किया गया जिसके उपयोग किए जाने स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कार्य के सम्पादन मे कार्यकारी एजेन्सी स्वच्छ परियोजना द्वारा निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जायेगी –

1. यदि कोई कार्य अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी।
2. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
3. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि लौटाई जावे।
4. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किया जावे। स्वीकृत कार्यो का Third party inspection समय–समय पर करवाया जायेगा। Inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे।
7. प्रस्तावित जल स्त्रोत में योजना की आवश्यकता के अनुरूप पानी की उपलब्धता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
8. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजनाओं मे लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि विवरण सत्यापित कर इस कार्यालय को सूचित किया जावें । योजनाओं से लाभान्वित होने वाले कृषकों में से 50 प्रतिशत से अधिक (संख्या एवं क्षेत्रफल) जनजाति कृषक का होगा।
9. स्वीकृत राशि की 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप मे लाभान्वित कृषको से ली जायेगी। कृषकों का अंशदान नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों कृषकों से अनिवार्य रूप से वहन किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किए जावें।
10. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के निर्माण क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु लाभार्थियों की समिति गठित की जावें एवं कमेटी का अध्यक्ष जनजाति लाभार्थियों में से होगा।
11. परियोजना अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो की मोनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक की अध्यक्षता मे कमेटी गठित की जावें।
12. निर्माण कार्य पश्चात् कार्य संचालन हेतु परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास के अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाकर रख–रखाव हेतु प्रति माह बैठक रखी जावें तथा बैठक का कार्यवाही विवरण जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जावें।

13. निर्माण कार्य पूर्ण होने से तीन वर्ष तक परियोजनाओं का रखरखाव कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। योजना चालु होने का प्रमाण–पत्र प्रति वर्ष लाभान्वितों, स्वच्छ परियोजना एवं ग्राम पंचायत द्वारा अलग–अलग जारी किये जावें। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर ही प्रतिवर्ष रख रखाव का भुगतान किया जावें।

14. स्वच्छ परियोजना द्वारा समय–2 पर (सिंचाई के समय 15 दिवस एवं शेष समय में 2 माह में एक बार) लाभान्वितों की बैठक आयोजित की जावें । जिसमें संचालन एवं आपसी विवाद यथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचना, आदि समस्याओं का निराकरण किया जावें।

15. स्वच्छ परियोजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समय–समय पर कृषि अधिकारियों/कृषि पर्यवेक्षक द्वारा फसल चक्र, उन्नत बीज, खाद की जानकारी कृषकों को दी जावें।

sd/-
(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

क्र. एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित लिफ्ट/2019–20/ 42409-18 दिनांक 21.11.19

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. निदेशक/परियोजना प्रबंधक स्वच्छ परियोजना, बडी रोड उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. परियोजना अधिकारी, स्वच्छ परियोजना बांसवाडा ।
9. गार्ड फाईल ।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)